



2024/22

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जिन्दगी बनाव लरकाट

प्रकरण संख्या :- 2023 32/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विलुप्त रूप से	विरोध विवरण
	05/02/2024	<p>पतावली तहसील द्वारा आमेर के पतांक नं. अ. / 2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग का फाट हुआ/शुल्क दर्ज रजिस्टर होवे। नोटिस जारी हो।</p> <p>पतावली वारन्ते तस्वी के दि. 13/02/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  आमेर, जिला- जयपुर </p>	<p>जिन्दगी बनाव</p> <p>जिन्दगी बनाव</p>
	13/2/2024	<p>पतावली तहसील द्वारा आमेर के पतांक नं. अ. / 2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग का फाट हुआ/शुल्क दर्ज रजिस्टर होवे। नोटिस जारी हो।</p> <p>पतावली वारन्ते तस्वी के दि. 13/02/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  आमेर, जिला- जयपुर </p>	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :- 32/2024

जीसीएमएस नं० :- 2024/22

उनवान :- जितेन्द्र चौधरी बनाम सरकार

::- आदेश -::

दिनांक:

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भूअ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गोंवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा०पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कवंरपुरा की जमाबंदी संवत 2073-76 के खाता संख्या 63, 124, 262 में जितेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र सुगलाराम जाट के स्थान पर जितेन्द्र चौधरी पुत्र सुगलाराम जाट शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
आमेर, जिला जयपुर